फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला–अनूपगढ़ (राज.)

मनजीत सिंह बनाम् रोशनलाल आदि

प्रकरण अन्तर्गत धारा–अपील इंतकाल

प्रार्थना पत्र सं.–32/2024 जी.एस.एम.एस. नं.–2024/59

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/दिनांक
4/4/24	आज यह अपील जरिए अधिवक्ता पेश हुई। अपील दर्ज रजि. की जावें। रेस्पोडेंटस को जरिए सम्मन/नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली आयंदा **दिनांक–12.04.2024** को पेश हो। (अजीत कुमार गोदारा) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	
12/4/24	पत्रावली प्रस्तुत। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से वकील श्री विनोद कुमार गोदारा उपस्थित हुए। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया। शामिल मिसल रहे। रेस्पोडेन्ट सं. 3 की सम्मन तामील रिपोर्ट प्राप्त। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की तलबी शेष। पत्रावली अग्रिम तलबी रिपोर्ट दिनांक 22/4/24 को पेश हो। पुनश्च: अपीलान्ट मनजीत सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सं. 1 रोशनलाल के साथ राजीनामा होने का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र अनुसार राजीनामा से इंतकाल सं. 374 दिनांक 7.12.22 को दर्ज होना बताया। अपीलान्ट की ओर से अपील इंतकाल निरस्त करने का निवेदन किया। राजीनामा होने के उपरान्त प्रकरण में कोई आगामी कार्यवाही शेष नहीं होने से अपील इंतकाल की [illegible] पाया है। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली होकर [illegible] से कम हो। (अजीत कुमार गोदारा) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	मनजीत (अजीत)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.05.22 11:22:34 IST
Reason: SelfAttested